









तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29/11/2021	<p>पत्रावली पेश हुई राज्य सरकार द्वारा प्रसारण गांवों के संग अभियान-2021 शुरू होने से पत्रावली ग्राम संघात <u>ना दिया जाता</u> है न्य कोर्ट में दिनांक <u>08/11/2021</u> को पेश हो।</p> <p> प्रभारी अधिकारी प्र. गां. सं. अभियान-2021</p>	
08/11/2021	<p>पत्रावली आज प्रसारण गांवों के संग अभियान-2021 है न्य <u>ना दिया जाता</u> में पेश हुई। प्रकारण उपस्थित नहीं। आयन्दा पत्रावली दिनांक <u>29/11/2021</u> को पेश हो।</p> <p> प्रभारी अधिकारी प्र. गां. सं. अभियान-2021</p>	
29/12/21	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राचीन अधिकार उप.। तहसीलदार बाकरी से जवाब रिपोर्ट अपाप्त। तहसीलदार बाकरी को पुनः तहरीर जारी है। पत्रावली वास्तव दखन जवाब रिपोर्ट आगामी तारीख 01/01/22 को पेश है।</p> <p></p>	
11/12/22	<p>सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी</p> <p>पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकार कार्य सरकार धनप. अवकाश भर है। पत्रावली इसुवा हुंकर दिनांक <u>19/12/2022</u> को पेश हो। </p>	
14/05/2022	<p>पत्रावली आज दिनांक 14/05/2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत - 2022 में पेश हुई। जिसमें अपाधी बुनियादी तहसीलदार बाकरी उपस्थित। तहसीलदार बाकरी से बांच रिपोर्ट अपाप्त। जी शामिल मिसल की मापी। तहसीलदार </p>	

5
52

बापकी की रिपोर्ट अनुसार जाचीगण के
 ग्राम नादिया कला के खसरा नं. 431/30
 में ओमसिंह पुत्र शिवसिंह व जयसिंह पुत्र
 शिवसिंह की जगह पौभाराम पुत्र शिवलाल
 व जसाराम पुत्र शिवलाल हने दी गयी। जो
 गलत है। जिसमें जाचीगण के हस्ताक्षर भाषा
 करी, संरपंच ग्राम पंचायत नादिया कला
 द्वारा सही नाम ओमसिंह पुत्र शिवसिंह व
 जयसिंह पुत्र शिवसिंह लहीं नाम ही तहसीलदार
 से प्राप्त रिपोर्ट व पत्रावली का ध्यानपूर्वक
 अवलोकन किया गया। जिसमें जाचीगण का
 जाचीना-पत्र स्वीकार योग्य है।
 जाचीगण का जाचीना - पत्र संख्या 44
 136 राजस्थान न्यू राजस्व अधिनियम जाचीना
 पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार
 बापकी की आदेश दिया जाता है कि ग्राम
 नादिया कला के खसरा संख्या 431/30
 में पौभाराम पुत्र शिवलाल व जसाराम पुत्र
 शिवलाल की जगह ओमसिंह पुत्र शिवसिंह
 व जयसिंह पुत्र शिवसिंह दर्ज कर राजस्व
 सूची में सुधार करें। तहसीलदार बापकी
 को पाननाथ तहसील जारी है। पत्रावली
 नौबल सुभाष एचक नम्बर से कस
 हासिल कर ली है। निर्णय आज दिनांक
 14/05/2012 को सुले न्यायालय में सुनाया
 गया।


 (श्री पी. एस. शर्मा)
 RJA
 स्पेशल अधिकारी
 RJA


 (श्री एस. एस. शर्मा)
 RJA
 राजस्व अधिकारी
 RJA


 (श्री एस. एस. शर्मा)
 RJA
 सहायक
 RJA